

न्यायालय द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उन्नाव।

उपस्थित— मीनाक्षी सोनकर, उ० प्र० न्यायिक सेवा ।

आपराधिक वाद संख्या-100/19

धारा-354 व 506 भा०दं०सं०

थाना-हसनगंज, जिला उन्नाव

कु०बसन्ती पुत्री स्व०रामप्रसाद पासी निवासी कोइया मदारपुर, थाना हसनगंज, जिला उन्नाव।

-----परिवादिनी

प्रति

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. बादशाह सिंह पुत्र मुन्ना सिंह, उम्र 67 वर्ष | निवासीगण ग्राम |
| 2. श्यामू शुक्ला पुत्र श्रीकृष्ण शुक्ला, उम्र 57 वर्ष | कोइया मदारपुर |
| 3. पुष्पेन्द्र पुत्र राजपाल सिंह, उम्र 46 वर्ष | थाना हसनगंज |
| 4. लालजी पुत्र शिवस्वरूप, उम्र 48 वर्ष | जिला उन्नाव।.....विपक्षीगण |

निर्णय

वादिनी कु०बसन्ती की ओर से प्रस्तुत परिवाद पर अभियुक्तगण बादशाह सिंह, श्यामू शुक्ला, पुष्पेन्द्र व लालजी का विचारण धारा-354 व 506 भा०दं०सं० के दण्डनीय अपराध हेतु किया गया।

संक्षेप में तथ्य यह है कि प्रार्थिनी कु०बसन्ती द्वारा पुलिस अधीक्षक, उन्नाव के समक्ष टाइपशुदा तहरीर प्रस्तुत की गई जिसमें उसके द्वारा यह कथन किया गया है कि प्रार्थिनी दि०-26.04.03 को अपना इलाज कराने हेतु दवा लेने लखनऊ गयी थी। दवा लेकर समय करीब 9 बजे रात घर आ रही थी। मोहान के आगे कमालपुर के पास बड़ी नहर पर बड़े बाबा का मन्दिर है। मन्दिर में कुछ लोग छिपे बैठे थे जिस वक्त उक्त प्रार्थिनी उस रास्ते से कुछ दूर पर निकल गयी। तब बादशाह सिंह अपने हाथों में बन्दूक लिये थे और पुष्पेन्द्र सिंह, श्यामू पण्डित व लालजी के हाथों में असलहा था जो तुरन्त पकड़कर अपने अगौछे से मुंह बांध दिया। अभियुक्तगण उठाकर मन्दिर के पीछे ले गये और बारी-बारी से कुकृत्य किया और जान से मार देने की धमकी दी। प्रार्थिनी किसी तरह हाथ पैर जोड़कर माफी मांगी। अभियुक्तगण ने कहा कि किसी से कहना नहीं, न हीं थाने जाना तब किसी तरह जान बचाकर घर आयी तब रात होने के कारण थाना नहीं पहुंच सकी। सुबह दि०-27.04.03 को समय करीब 8 बजे सुबह थाने जाकर लिखित प्रार्थनापत्र दिया लेकिन अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई जिसके बाद प्रार्थिनी ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थनापत्र दिया किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई।

वादिनी की उपरोक्त टाइपशुदा तहरीर के आधार पर पुलिस अधीक्षक उन्नाव

पारित आदेश के अनुपालन में दि०-02.07.03 को समय 14.05 बजे अभियुक्तगण बादशाह सिंह, पुष्पेन्द्र सिंह, श्यामू पण्डित व लालजी के विरुद्ध धारा-376 व 506¹ भा०दं०सं० के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। जिसमें विवेचक रामविलास द्वारा की गई।

बाद विवेचना विवेचक द्वारा इस आधार पर अन्तिम आख्या प्रेषित की गई। उपरोक्त अन्तिम आख्या के विरुद्ध प्रार्थिनी द्वारा प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया तथा प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र के समर्थन में वादिनी का बयान सी०डब्लू-1 के रूप में दि०-15.11.03 को लेखबद्ध किया गया। उपरोक्त प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र पर वादिनी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त न्यायालय द्वारा दि०-23.02.04 को वादिनी के प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र को खारिज कर दिया गया जिसके विरुद्ध वादिनी द्वारा रिट याचिका सं०-47/04 संस्थित की गई जिसमें न्यायालय श्रीमान् पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, उन्नाव द्वारा दि०-30.10.04 को आपराधिक पुनरीक्षण स्वीकार की गई तथा विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट सं०-2, उन्नाव द्वारा पारित आदेश दिनांकित 23.02.04 निरस्त करते हुए प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र पर पुनः सुनवाई करने हेतु आदेशित किया गया।

उक्त आदेश के विरुद्ध अभियुक्तगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका प्रस्तुत की गई जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दि०-10.11.04 को रिट याचिका सं०-571/04 में अभियुक्तगण को सुनकर अवर न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने हेतु आदेशित किया गया।

उक्त आदेश के पश्चात श्रीमान् अपर सत्र न्यायाधीश व माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में दि०-11.03.05 को वादिनी का प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र स्वीकार कर अभियुक्तगण बादशाह सिंह, पुष्पेन्द्र सिंह, श्यामू पण्डित व लालजी को धारा-354 व 506(2) भा०दं०सं० के तहत विचारण हेतु तलब किया गया।

उक्त आदेश के क्षुब्ध होकर वादिनी ने एक पुनरीक्षक याचिका सं०-71/05 सत्र नयायालय में संस्थित की जो दि०-05.12.05 को निरस्त कर दी गई तथा वादिनी को आदेशित किया गया है कि साक्ष्य धारा-244 दं०प्र०सं० के पश्चात वादिनी पुनः उक्त मामले में प्रार्थनापत्र दे सकती है।

अभियुक्तगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए उनके द्वारा अपनी जमानतें करायी गयी।

धारा-244 दं०प्र०सं० के स्तर पर वादिनी बसन्ती का बयान पी०डब्लू०-1 के रूप में लिखा गया।

दिनांक 10.08.09 को अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा-354 व 506 भा०दं०सं० का आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया और विचारण की मांग की।

धारा-246 भा०दं०सं० के स्तर पर वादिनी बसन्ती का बयान पी०डब्लू०-1,

भगवानदेई का बयान पी0डब्लू-2 व अशोक उर्फ गुड्डू का बयान पी0डब्लू-3 के रूप में लिखा गया।

अभियुक्तगण का बयान 313 दं0प्र0सं0 दिनांक 15.02.17 तथा अतिरिक्त बयान अन्तर्गत धारा-313 दं0प्र0सं0 दि0-03.04.19 को दर्ज किया गया। जिसमें अभियुक्तगण ने घटना को गलत बताया तथा वादिनी बसन्ती पी0डब्लू-1 व भगवानदेई पी0डब्लू-2 के द्वारा रंजिशन बयान दिया जाना कहा। गवाह पी0डब्लू-2 अशोक उर्फ गुड्डू के द्वारा गलत बयान दिया जाना तथा रंजिशन गवाही दिया जाना कहा। प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य न प्रस्तुत करते हुए अपने विशेष कथन में मुकदमा झूठा होना कहा।

उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

वादिनी बसन्ती पी0डब्लू-1 द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा-244 दं0प्र0सं0 में परिवाद कथनों का समर्थन करते हुए यह कथन किया गया है कि दि0-26.04.03 को रात 9 बजे की घटना है। मैं लखनऊ से दवा लेकर वापस आ रही थी। लखनऊ से मोहान आयी। मोहान में कमालपुर के पास आगे बड़ी नहर है। बड़ी नहर के पास बड़े बाबा का मन्दिर है। वहां पर रूयालपुर के कुछ लोग छिपे बैठे हैं। मैं मन्दिर से जैसे ही आगे बढ़ी कि पीछे से बादशाह जो हाथ में बन्दूक लिये थे और श्यामू पण्डित, पुष्पेन्द्र सिंह व लालजी थे। इन तीनों लोगों के पास नाजायज तमन्चे थे। यह लोग पीछे से आकर एक ने बाल पकड़ लिया। एक ने हाथ पकड़ लिया व एक ने मुंह बांध दिया। मुंह अंगौछा से बांध दिया। फिर यह लोग उठाकर मुझे बड़े बाबा के मन्दिर के पीछे ले गये। उक्त चारों लोगों ने मेरा जार बन्द तोड़ दिया तथा बारी-बारी से मेरे साथ बुरा काम किया। इन लोगों ने बारी-बारी से अपनी पेशाब की नली मेरी पेशाब की जगह डालकर बुरा काम किया। कहा कि साली कमीनी बड़ी नेता गिरी करती है। आज से नेतागिरी छूट जायेगी। मुल्जिमान मुझे जान से मार डालना चाहते थे। तब मैंने चारों लोगों के हाथ पैर जोड़े और कहा कही नहीं बतायेगी तब उन लोगों ने छोड़ दिया तब मैं रात को अपने घर गयी।

उक्त घटना मैंने अपनी सौतेली बहन व सौतेले पिता जी को बतायी थी। दूसरे दिन 27.04.03 को रिपोर्ट करने थाना हसनगंज गयी थी। पूरे दिन बैठाये रखा, रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। तब मैं अपने घर चली गयी। फिर 28 तारीख को उन्नाव आयी और प्रार्थनापत्र लिखकर सी0ओ0 साहब को दिया फिर महिला सिपाहियों के साथ भेजकर मेरा डाक्टरी मुआइना सरकारी अस्पताल में कराया। उसके बाद भी मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। एक महिना बाद फिर पुलिस कप्तान से मिली और उनसे शिकायत की। उनके आदेश के बावजूद मेरी रिपोर्ट तीन महिना बाद अंकित की गयी। पुलिस ने मेरा बयान नहीं लिया और न ही मेरे पिता व सौतेली बहन के ही बयान लिये। फिर मुझे

अदालत द्वारा नोटिस भेजी गयी तो मुझे पता चला कि मेरे मुकदमा में फाइनल रिपोर्ट लग गयी है तथा मैंने न्यायालय में उपस्थित होकर प्राथनापत्र दिया और मेश बयान अंकित किया गया। मुल्जिमान गुण्डा किरम के लोग हैं। अब भी कहते हैं कि सुलह कर लो नहीं तो मार देंगे।

इस साक्षी द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा-246 दं0प्र0सं0 की प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि कथित घटना के समय बी0डी0सी0 सदस्य थी। मेरे गांव में बसन्ती नाम की कोई दूसरी औरत नहीं है। मेरे गांव में रामबक्स सिंह (ठाकुर) नाम का व्यक्ति रहता है। रामबक्स के लड़के का नाम गुड्डू है। गुड्डू को अशोक कहते हैं। मैं नहीं जानती। रामबक्स की पत्नी का नाम भगवानदेई है। अशोक की पत्नी का नाम चन्द्रावल था। अशोक की पत्नी ने दहेज पर मुकदमा मुझपर, अशोक पर, भगवानदेई पर व रामबक्स पर किया था। मैं नहीं बता सकती कि इस मुकदमें के अभियुक्त श्यामू भी मुल्जिम थे। आगे इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया है कि जब मैं बी0डी0सी0 का इलेक्शन लड़ी थी तब मेरे विरुद्ध कई व्यक्ति लड़े थे। उनका नाम नहीं बता सकती।.....मुझे नहीं मालूम कि उसमें वोट किसने-किसने दिया था। सभी लोग मेरे साथ थे। जो इलेक्शन जीते थे उसमें मेरे प्रस्तावक नन्हा पण्डित थे। इन्हीं नन्हा पण्डित पर एक हरिजन उत्पीड़न का मुकदमा लिखवाया है। एक मुकदमा मैंने उमाचन्द्र पर हरिजन उत्पीड़न का लिखा रखा है। मैंने जो उमाचन्द्र पर हरिजन उत्पीड़न का मुकदमा लिखाया है उसमें सह अभियुक्त लालजी के भाई दिलीप भी मुल्जिम हैं। मेरे भाई पर कोई मुकदमा 376 भा0दं0सं0 का नहीं चल रहा है। नन्हा पण्डित पर कोई मुकदमा 376 भा0दं0सं0 का चल रहा है या नहीं इसकी मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि मैं इस घटना के बारे में कुछ नहीं जानती, न मैं उस मुकदमें में गवाह हूँ। फिर कहा कि मुझे जानकारी नहीं है कि मुकदमा कहाँ चल रहा है। मेरा विवाह नहीं हुआ है। इस कथित घटना के पूर्व मेरे साथ किसी भी व्यक्ति ने मेरी मर्जी से या जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध नहीं बनाये। मैं पूरनखेड़ा की रहने वाली हूँ। मैंने सरकार बनाम सिद्धनाथ के नाम से कोई मुकदमा लालजी वगैरह पर नहीं लिखाया था। मुझे जानकारी नहीं है कि मैंने उसमें लालजी वगैरह के विरुद्ध न्यायालय में कोई गवाही दी हो। मुझे जानकारी नहीं है कि जो लालजी, सिद्धनाथ वाले मुकदमें में सह अभियुक्त थे वह इस मुकदमें में सह अभियुक्त हैं।

जिरह में आगे इस साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि उमाचन्द्र सह अभियुक्त बादशाह सिंह के साले हैं। उस उमाचन्द्र पर भी मेरा एक हरिजन उत्पीड़न का मुकदमा चल रहा है। उमाचन्द्र वाले मुकदमें में सह अभियुक्त लालजी के भाई दिलीप भी मुल्जिम हैं।.....मेरे ऊपर चन्द्रावल ने मुकदमा चलाया था। उसमें मेरे साथ मेरे पिता रामबक्स भी मुल्जिम थे। चन्द्रावल मेरी भाभी थी। मेरे साथ इस मुकदमें में सह अभियुक्त श्यामू भी मुल्जिम थे। श्यामू व मैं अलग हैं। मुझे नहीं मालूम



कि हरिजन उत्पीड़न कायम कराने के बाद कोई सरकारी अनुदान मिलता है। मैंने जो हरिजन उत्पीड़न के कई मुकदमें कायम करा रखे हैं उसका मुझे सरकारी अनुदान मिल चुका है।

मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने कोई मुकदमा सरकार बनाम सिद्धनाथ करके लिखाया था। मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने इस मुकदमें में कोई गवाही दी थी। रमाबक्श मेरे पिता नहीं हैं। मेरे पिता रामप्रसाद हैं। मैंने कोई गवाही सिद्धनाथ के मुकदमें में नहीं दी है।.....सह अभियुक्त श्यामू उसी सिद्धनाथ के चचेरे भाई हैं। इन्द्रपाल मेरा भाई है। इन्द्रपाल पर एक कत्ल का मुकदमा चला था। इस मुकदमें में बादशाह सिंह ने पैरवी की थी। कोईया से हसनगंज चार कोस की दूरी पर है। घटना वाले दिन हसनगंज तहसील के लिये 6 बजे चली थी। मेरे गांव से हसनगंज पहुंचने में एक घण्टा लगता है। तहसील और ब्लाक दस बजे खुलता है। घटना के बाबत सी०ओ० साहब ने मेरा बयान लिया था। अगर सी०ओ० साहब के दिये बयानों में 10 बजे थाने जाने वाली बात लिखी है तो वह गलत है। अगर सी०ओ० के दिये गये बयानों में मैं किसी के साथ तहसील नहीं गयी थी। अगर बयानों में तहसील किसी के साथ जाने वाली बात लिखी है तो वह गलत है। सियाराम मेरे जीजा है। मैं घटना वाले दिन अपने जीजा को लेकर उनके काम से तहसील नहीं गयी थी। अगर मेरे बयानों में उनके साथ तहसील जाने वाली बात लिखी है तो मैं उसकी कोई वजह नहीं बता सकती। हसनगंज में बहुत सारे मेडिकल स्टोर हैं। हसनगंज से लखनऊ 12-13 कोस की दूरी पर है। मैं तहसील से दो बजे निकली थी। तब सियाराम साथ थे। हसनगंज से लखनऊ पहुंचने में एक घण्टे का समय लगता है। मैंने जब सियाराम का काम करा दिया था तब मेरे साथ लखनऊ गये थे। लखनऊ मैं पांच बजे पहुंची थी। मैं लखनऊ मेडिकल स्टोर गयी थी। मेडिकल स्टोर का नाम नहीं मालूम। मेरे पेट में दर्द हो रहा था उसकी दवा लेने लखनऊ गयी थी। मैंने अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में मेरे पेट में दर्द हो रहा है, की बात लिखा दी थी। यदि मेरी रिपोर्ट में यह बात नहीं लिखी है तो मैं इसकी वजह नहीं बता सकती। मैं मेडिकल स्टोर पर आधा घण्टा रुकी थी और वहां से चल दी थी। लखनऊ से मैं मोहान चौराहे आयी थी।

आगे अपनी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि साधारण मारपीट का हरिजन उत्पीड़न का मुकदमा लिखाने पर पहली किश्त 6200/-रु० की अनुदान के रूप में मिलती है। मुझे नहीं मालूम कि सजा होने के बाद उसमें 15000/-रु० का अतिरिक्त अनुदान बाद में प्राप्त होता है। बलात्कार का मुकदमा लिखाने पर 60,000/-रु० का अनुदान सरकार द्वारा दिया जाता है। यह अनुदान ब्लाक द्वारा मिलता है और उसका सरकारी चेक बनकर आता है। मैं जो दवा लेने लखनऊ गयी थी उसका कोई पर्चा सी०ओ० साहब को नहीं दिया था। मैंने

कितने रुपये की दवा ली थी, उसका पर्चा नहीं बनवायी थी न ही उसका बाउचर या रसीद सी०ओ० साहब को दिया था। मैंने 550/-रु० की दवा ली थी। यह बात मैंने सी०ओ० साहब को दिये बयानों में न तो बताई थी न ही प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिखायी थी। आगे इस साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया गया है कि मेरे केवल चेहरे पर चोट थी। कमर, छाती व पीठ में किसी किस्म की कोई चोट नहीं थी। हाथ में चोट लगी थी। हाथ में चूड़ियों घुसने की चोट थी। मेरे हाथ में केवल दो जगह चोटें थी। मैंने सभी चोट डाक्टर को दिखायी थी।.....जब मेरे साथ मुल्जिमानों ने गलत कृत्य किया तो मेरे नीचे कोई कपड़ा नहीं डाला था। जमीन समतल नहीं थी घास फूस थी। मेरी पीठ कई जगह छिल गयी थी। डाक्टर को बताया था। उन्होंने लिखा नहीं था। मैंने इस बारे में कई प्रार्थनापत्र दिये थे कि डाक्टर ने मेरा सही चिकित्सीय परीक्षण नहीं किया है। मैंने उन दरखास्तों की कोई नकल दाखिल नहीं किया है और पूर्व में दिये बयानों में भी सही चिकित्सीय परीक्षण नहीं किये जाने वाली बात नहीं बतायी है।.....मैं जब घर लौट कर आयी तो मैंने घटना के बाबत घरवालों को बताया था। अगर सी०ओ० साहब को दिये बयानों में घटना के बारे में किसी को नहीं बताने वाली बात नहीं लिखी है तो मैं इसकी वजह नहीं बता सकती। मैंने कप्तान साहब को दरखास्त 28 तारीख को दी थी। यदि उस दरखास्त की नकल इस पत्रावली में नहीं दाखिल है तो मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकती।

आगे इस साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया है कि मैं पढी लिखी नहीं हूँ। मैं अंग्रेजी भी नहीं पढ़ सकती हूँ। मैं नहीं बता सकती कि मैंने यह बात कैसे कही कि डाक्टर ने मेरी डाक्टरी सही तरीके से नहीं की। यह सही है कि इस सम्बन्ध का कोई प्रार्थनापत्र पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। जिसमें आज से पहले मैंने यह कहा हो कि डाक्टर ने मेरी सही डाक्टरी नहीं की। मैं हिन्दू हूँ। बहुत सी कुवारियों लड़कियों चूड़ी पहनती है। अदालत में गवाह के हाथ देखे गये तो वह कोई चूड़ी नहीं पहने है। यह कहना गलत है कि मैं कभी चूड़ी नहीं पहनती केवल केस को बल देने के लिये बयान में चूड़ी पहनने की बात झूठ बताई हो। मैं दस्तखत कर लेती हूँ। जो पहला प्रार्थनापत्र थाने पर दिया था वह एक आदमी से लिखाया था। उसका नाम नहीं जानती। यह सही है कि प्रथम प्रार्थनापत्र जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित करने की कोई बात नहीं लिखी है।.....मैं हसनगंज के लिये घटना वाले दिन 9-10 बजे निकली थी। मोहान होते हुए ही हसनगंज की रास्ता है। हसनगंज से मोहान चार कोस है। हसनगंज से लखनऊ 10-12 कोस है। हसनगंज में मेडिकल स्टोर हैं और कई डाक्टर हैं। मोहान में 2-3 डाक्टर थे और एक मेडिकल स्टोर था। मैंने हसनगंज व मोहान में दवा इसलिये नहीं ली थी क्योंकि यहां दवा मिलती ही नहीं थी। यह बात मुझे पहले ही मालूम थी कि दवा यहाँ नहीं मिलती



है। पर्चा खो गया है। अदालत में आज तक न ही दरोगा जी को विवेचना क समय मैंने अपनी बीमारी का कोई पर्चा दिया हो। मेरा कोई एक्सरे वगैरह नहीं हुआ था न ही अल्ट्रासाउण्ड हुआ था। बीमारी बड़ी थी लेकिन दवा मेडिकल स्टोर से लाती थी। क्या बीमारी थी इस बयान के पहले न मैंने दरोगा जी को बताया न अपने वकील को बताया, न अदालत को बताया।

जिरह के पृष्ठ 6 पर इस साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि घटना वाले दिन रात करीब साढ़े दस बजे घर पहुंची थी। सुबह चार बजे सो कर उठी और घर से निकल लिया। थाने सुबह 7-8 बजे पहुंच गई थी। थाना मेरे यहां से करीब 10-12 किलोमीटर दूर है। उठकर मैं सीधे थाने गयी थी। थाने से मैं करीब 3 बजे वापस आयी थी। मेरे गांव आने जाने के लिये बड़े बाबा वाला रास्ता है। यह रास्ता अहरिन खेड़ा मलकांदीम आदि गांव को भी मिलता है। पैदल का वही रास्ता है। सवारी का दूसरा रास्ता है। वह ऊँच द्वार को होते हुए मेरे गांव की तरफ आता है। घटना वाले दिन जब मैं हसनगंज तहसील गई यह बात केवल मेरी माँ को मालूम थी। बादशाह का घर मेरे घर से 10-12 घर आगे है। मेरा सारा प्रोग्राम सबको मालूम था।

गवाह भगवानदेई पी0डब्लू-2, जोकि वादिनी मुकदमा बसन्ती की माता है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि मेरी पहली शादी रामप्रसाद के साथ हुई थी। रामप्रसाद पासी हैं। उनकी मृत्यु हो गई थी। रामप्रसाद से बसन्ती, जनकदुलारी, इन्द्रपाल तीन बच्चे थे। रामप्रसाद की मृत्यु के बाद मैंने अपनी शादी रामबक्श से कर ली थी। मैं रामबक्श के साथ रहती हूँ। रामबक्श से तीन लड़के व चार लड़कियाँ हैं। बसन्ती हमारे घर के पास ही अलग रहती है और यह अपनी दुकान रखे हैं। आज से सात साल कुछ दिन हो गये हैं। अपनी दवा लेने लखनऊ गयी थी। और रात में देर से करीब 9 बजे आई थी। यह रोते-रोते आई थी और हांथ की चूड़ियाँ टूट गई थी। हांथ में खरोज आ गई थी। कपड़े वगैरह फट गये थे। बसन्ती ने बताया कि बड़े बाबा के मन्दिर के पास गांव के बादशाह सिंह, श्यामू पण्डित, लालजी और पुष्पेन्द्र ठाकुर ने मुझे पकड़ लिया और उठाकर मन्दिर के पीछे ले गये और बन्दूक दिखाकर जबरदस्ती मेरे साथ चारों लोगों ने बुरा काम किया। दरोगा जी आये थे। पूँछताछ की थी। मैंने उनको जैसा मेरी बेटी के साथ घटित हुआ था और जो बात लड़की ने मुझे बताया थी वह मैंने दरोगा जी को बता दिया था। दरोगा जी को मैंने रात वाली व सुबह बताने वाली बात दोनों बता दी थी।

इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि घटना मैंने अपनी आंखों से नहीं देखी थी। बसन्ती के बताने से घटना बताती हूँ। रामबक्श ठाकुर के पिता का नाम उजागर सिंह है। उजागर सिंह जाति के ठाकुर थे। बसन्ती ने हरिजन उत्पीड़न सम्बन्धी कई मुकदमें लिखा रखे हैं। मुझे नहीं मालूम की हरिजन उत्पीड़न मुकदमें लिखाने में पैसा मिलता है या नहीं। चन्द्रावल ने जो मुकदमा दायर किया है

उसमें मेरे ता का नाम रामबक्श ठाकुर लिखा है और बसन्ती के पिता का नाम रामबक्श ठाकुर लिखा है। मेरे लड़के का नाम इन्द्रपाल है। इन्द्रपाल पर कत्ल का मुकदमा चला था। मुझे नहीं मालूम कि उस मुकदमें में बादशाह सिंह पैरवी करते थे। उमाचन्द्र बादशाह सिंह के साले हैं। उमाचन्द्र और बसन्ती का मुकदमा आपस में चल रहा है। घटना वाले दिन बसन्ती घर से दोपहर बीतने के बाद गई थी। जब यह घर से निकली थी तो सीधे लखनऊ दवा लेने गई थी। बसन्ती के पेट में दर्द था। इसी की दवा लेने गई थी किस डाक्टर के पास गई थी, मैं नहीं बता सकती।..... अगर पुलिस को दिये गये बयानों में बसन्ती के कपड़े फटने वाली बात, हाथ में चूड़ी लगने वाली बात अगर नहीं लिखी है तो मैं इसकी वजह नहीं बता सकती। मैंने सी०ओ० साहब को दिये गये बयानों में बसन्ती को घटना के बारे में मुझे सुबह बताने वाली बात बताई थी वह सही है। जब मेरी लड़की मेरे घर आई थी तब खून खच्चर थी। खून कपड़ों में लग गया था। खून वाले कपड़े सी०ओ० साहब दरोगा जी को दिखाये गये थे उनकी लिखा पढ़ी हुई थी। मेरे गांव में नन्हा पण्डित रहते हैं। बसन्ती ने एक मुकदमा नन्हा पण्डित पर भी लिखाया है। मेरे गांव में सिद्धनाथ भी रहते हैं। मुझे नहीं मालूम कि सिद्धनाथ पर कोई मुकदमा बसन्ती ने लिखाया है या नहीं। मेरे गांव में दिलीप पण्डित भी रहते हैं। मुझे नहीं मालूम कि दिलीप व बसन्ती का भी कोई मुकदमा चला है या नहीं। दिलीप पण्डित के भाई लालजी भी इस मुकदमें में मुल्जिम हैं। मेरे गांव में नरेन्द्र सिंह रहते हैं। वह मेरे परिवार के हैं। नरेन्द्र सिंह के बाप का नाम रघुवीर सिंह है। बसन्ती ने एक मुकदमा नरेन्द्र सिंह पर व उनके भाई सन्तोष सिंह पर भी लिखाया था। अशोक उर्फ गुड्डू मेरा लेड़का है। दिलीप और लालजी के भाई का नाम रामस्वरूप है। उमाचन्द्र के बाप का नाम नानसिंह है। बसन्ती ने एक मुकदमा उमाचन्द्र व दिनेश पर मारपीट का लिखाया था। बसन्ती घटना के समय बी०डी०सी० सदस्य थी।

आगे इस साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया है कि जब बसन्ती घर आयी मैं नहीं बता सकती उस समय कितना बजा होगा। 10 बजा होगा या उससे कम रहा होगा। मैं नहीं बता सकती कि घटना किस मौसम की है। जब बसन्ती घर आयी थी उस समय बसन्ती का साल स्वेटर आदि सब अस्त व्यस्त था। खून से सने हुई थे। मैंने सी०ओ० साहब को बसन्ती के कपड़े खून से सने हुये वाली बात बताई थी।.....बसन्ती भैंस बांधे है और मुझसे अलग रहती है। बसन्ती की शादी नहीं हुई है और मुझसे इनका कोई वास्ता सरोकार नहीं है। अलग रहती है और अपना खुद खाती व उड़ाती है। मेरी कोई रोक टोक नहीं है। कब आती है और कब जाती है। मैं नहीं जानती कि सियाराम मेरे कौन है। मेरी कोई लड़की सियाराम को नहीं ब्याही है। मैं नहीं जानती कि बसन्ती ने पांच हरिजन एकट के मुकदमें कायम करा रखे हैं। मेरे गांव में नन्हा पण्डित रहते हैं। मुझे याद नहीं है कि

बसन्ती का नन्हा पण्डित पर कोई हरिजन एक्ट का मुकदमा चल रहा है या नहीं। घटना के बाबत बसन्ती ने रात में भी बताया था व सुबह भी बताया था।

गवाह अशोक उर्फ गुड्डू पी0डब्लू-3 ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि नौ साल चार माह पहले इलाज कराने बसन्ती लखनऊ गयी थी। मैं गांव से दो कि०मी० दूर^{दूरे} चल रहा था। वहां पर था। सुबह जब वापस आया तो बसन्ती ने बताया कि रात में जब दवा लेकर 9.00 बजे लौट रही थी तो मोहान के आगे कमालपुर के पास बड़ी नहर पर बड़े बाबा के मन्दिर में कुछ लोग दिखे थे जिसमें बादशाह सिंह, पुष्पेन्द्र सिंह, लालजी व श्यामू शुक्ला जो हाथों में असलहे लिये थे। बसन्ती को पकड़कर मन्दिर के पीछे उठा ले गये और सबने बुरा काम किया। उपरोक्त लोग रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दे गये थे। दूसरे दिन बसन्ती रिपोर्ट लिखाने थाने गयी थी। उसी के बाद अपनी डाक्टरी करायी थी। बसन्ती रात में डर के कारण थाने नहीं गयी थी। बसन्ती नाम की कोई दूसरी औरत गांव में नहीं है।

इस साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया है कि मैं यह घटना सुनी सुनाई बता रहा हूँ। मैंने घटना को अपनी आँखों से नहीं देखा था। रामबक्श सिंह जाति के ठाकुर हैं। बसन्ती ने गांव में हरिजन एक्ट का कोई मुकदमा कायम नहीं कराया है। मेरे गांव में नन्हा पण्डित रहते हैं। मुझे नहीं मालूम कि बसन्ती ने हरिजन एक्ट का मुकदमा नन्हा पण्डित पर लिखाया है। मेरे गांव में दिलीप पण्डित रहते हैं। उनके भाई लालजी हैं जो इस मुकदमें में मुल्जिम हैं। मेरे गांव में उमाचन्द्र व दिनेश भी रहते हैं। मैं यह भी नहीं जानता कि बसन्ती ने इसके पूर्व भी हरिजन एक्ट का मुकदमा उमाचन्द्र, दिलीप, लालजी तथा दिनेश पर लिखाया था या नहीं। मेरे गांव में सिद्धनाथ रहते हैं। मुझे यह नहीं मालूम कि बसन्ती ने सिद्धनाथ पर हरिजन एक्ट का मुकदमा चलाया था या नहीं। इसी कम में आगे इस साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि मुझे याद नहीं है कि बसन्ती ने कोई मुकदमा नरेन्द्र सिंह आदि पर सन् 1993 में हरिजन एक्ट का लिखाया था अथवा नहीं। बसन्ती ने एक नया मुकदमा नरेन्द्र सिंह, इस मुकदमें के सह अभियुक्त लालजी उनके बड़े भाई दिलीप पर कायम कराया है। मुझे नहीं मालूम कि हरिजन एक्ट का मुकदमा लिखाने पर पैसा मिलता है या नहीं। बसन्ती मुझसे अलग रहती है। बसन्ती आजाद खयालात की औरत है।

वादिनी मुकदमा की ओर से तर्क दिया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा घटना की तिथि पर उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया गया तथा जान से मारने की धमकी दी गई। वादिनी द्वारा अपने बयान में पूर्ण रूप से घटना का समर्थन किया है एवं वादिनी की ओर से प्रस्तुत साक्षीगणों द्वारा भी घटना का समर्थन अपनी साक्ष्य में किया गया है इसलिये अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित धारायें संदेह से परे

साबित हैं जिससे अभियुक्तगण दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं।

बचाव पक्ष की ओर से तर्क दिया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा वादिनी मुकदमा से आरोपित धाराओं के अन्तर्गत कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। वादिनी मुकदमा, मुकदमेंबाज किशम की महिला है जिसके द्वारा अनेकों मुकदमें अभियुक्तगण एवं गांव के अन्य व्यक्तियों पर लाभ प्राप्त करने हेतु दायर किये गये हैं। प्रस्तुत मुकदमें में वादिनी की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं उससे अभियुक्तगण द्वारा किसी अपराध को कारित किया जाना साबित नहीं हो रहा है। वादिनी मुकदमा के बयानों में विरोधाभास है एवं वादिनी की ओर से परीक्षित साक्षीगण घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं हैं। अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप संदेह से परे साबित नहीं है। अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

अभियुक्तगण बादशाह सिंह, पुष्पेन्द्र, श्यामू शुक्ला व लालजी पर आरोप है कि धारा-354 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दि0-26.04.03 को रात्रि करीब 9.00 बजे उनके द्वारा परिवादिनी कु0बसन्ती की लज्जा भंग करने के आशय से उसपर आपराधिक बल का प्रयोग किया एवं धारा-506 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

सर्वप्रथम यहां उल्लेखनीय है कि कथित घटना के सम्बन्ध में वादिनी मुकदमा कु0बसन्ती द्वारा सम्बन्धित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत धारा-376, 506 भा0दं0सं0 व 3(2) एस0सी0एस0टी0एक्ट संस्थित किया गया था जिसमें तमामी विवेचना के उपरान्त विवेचक द्वारा अन्तिम आख्या प्रस्तुत की। उक्त अन्तिम आख्या के विरुद्ध वादिनी द्वारा अपनी आपत्तियों न्यायालय में प्रस्तुत की गई जिसमें सुनवाई उपरान्त न्यायालय द्वारा दि0-23.03.04 के आदेश द्वारा वादिनी का प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र अस्वीकार करते हुए अन्तिम आख्या को स्वीकार कर लिया गया। वादिनी द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध एक पुनरीक्षण याचिका सं0-47/04 संस्थित की गई जिसमें माननीय रिवीजनल न्यायालय द्वारा अवर न्यायालय के आदेश दिनांकित 23.03.04 को अपास्त करते हुए प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र पर पुनः सुनवाई करने हेतु आदेशित किया गया। इस आदेश के विरुद्ध अभियुक्तगण ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दि0-10.11.04 को रिट याचिका सं0-571/04 में अभियुक्तगण को सुनकर अवर न्यायालय को आदेश पारित करने हेतु आदेशित किया गया। अवर न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के उपरान्त आदेश दिनांकित 11.03.05 द्वारा अभियुक्तगण बादशाह सिंह, पुष्पेन्द्र, श्यामू शुक्ला व लालजी को धारा-354 व 506(2) भा0दं0सं0 में विचारण हेतु तलब किये जाने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध वादिनी द्वारा पुनः एक पुनरीक्षण याचिका सं0-71/05 रिवीजनल न्यायालय में संस्थित की गई जो माननीय रिवीजनल न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 05.12.05 द्वारा निरस्त कर दी गई। उक्त

आदेश में पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि साक्ष्य अन्तर्गत धारा-244 दं०प्र०सं० के पश्चात वादिनी पुनः उक्त मामले में प्रार्थनापत्र दे सकती है। वादिनी का बयान अन्तर्गत धारा-244 दं०प्र०सं० अंकित होने के पश्चात पुनः एक प्रार्थनापत्र धारा-323 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया तथा अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा-354 व 506 भा०दं०सं० के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। उक्त विरचित आरोप को किसी अपीलीय न्यायालय में चुनौती देने का कोई कथन वादिनी की ओर से नहीं किया गया है, न ही ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली में दाखिल है।

अतः उपरोक्त कार्यवाही को देखते हुए न्यायालय को मात्र यह निष्कर्ष देना है कि क्या अभियुक्तगण द्वारा वादिनी मुकदमा के विरुद्ध धारा-354 व 506 भा०दं०सं० का अपराध कारित किया गया अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में वादिनी मुकदमा द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में घटना की तिथि 26.04.03 की रात्रि 9.00 बजे अभियुक्तगण द्वारा बड़ी नहर पर बड़े बाबा के मंदिर के पीछे वादिनी के साथ बलात्कार किया गया और जान से मारने की धमकी दिये जाने का कथन किया गया है। अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क दिया गया है कि वादिनी मुकदमा, मुकदमें बाज किश्म की महिला है जिसने अभियुक्तगण एवं गांव के अन्य व्यक्तियों पर अनेकों हरिजन उत्पीड़न के कई मुकदमें कर रखे हैं जिसमें उसे सरकारी अनुदान प्राप्त होता है। बयान अन्तर्गत धारा-313 दं०प्र०सं० में भी अभियुक्तगण द्वारा वादिनी द्वारा रजिशन मुकदमा लिखाये जाने का कथन किया गया है। प्रस्तुत वाद भी वादिनी द्वारा सरकारी अनुदान प्राप्त करने एवं पुराने मुकदमों की रजिशा के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्तगण के विरुद्ध संस्थित कराया गया है। वादिनी मुकदमा द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में बचाव पक्ष की ओर से प्रेक्षा किये जाने पर यह कथन किया गया है कि नन्हा पण्डित पर एक हरिजन उत्पीड़न का मुकदमा लिखवाया है। एक मुकदमा मैंने उमाचन्द्र पर हरिजन उत्पीड़न का लिखा रखा है। मैंने जो उमाचन्द्र पर हरिजन उत्पीड़न का मुकदमा लिखाया है उसमें सह अभियुक्त लालजी के भाई दिलीप भी मुल्लिम हैं। मेरे भाई पर कोई मुकदमा 376 भा०दं०सं० का नहीं चल रहा है। नन्हा पण्डित पर कोई मुकदमा 376 भा०दं०सं० का चल रहा है या नहीं इसकी मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि मैं इस घटना के बारे में कुछ नहीं जानती, न मैं उस मुकदमें में गवाह हूँ। वादिनी मुकदमा द्वारा यह भी कहा गया है कि इस कथित घटना के पूर्व मेरे साथ किसी भी व्यक्ति ने मेरी मर्जी से या जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध नहीं बनाये। वादिनी द्वारा यह भी कहा गया है कि मैंने सरकार बनाम सिद्धनाथ के नाम से कोई मुकदमा लालजी वगैरह पर नहीं लिखाया था व यह भी कहा गया है कि मुझे जानकारी नहीं है कि लालजी वगैरह के विरुद्ध न्यायालय में कोई गवाही दी हो।

बचाव पक्ष द्वारा फौजदारी वाद सं०-665/97 सरकार बनाम सिद्धनाथ,

अन्तर्गत धारा-323, 504, 506 भा0दं0सं0 में वादिनी द्वारा बतौर गवाह दिये गये बयान की नकल दाखिल की गई है जिससे स्पष्ट है कि वादिनी द्वारा सिद्धनाथ के विरुद्ध वाद संस्थित कर रखा है जिससे उसके द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में इंकार किया गया है। इसी प्रकार बचाव पक्ष की ओर से प्रच्छा किये जाने पर वादिनी मुकदमा द्वारा यह बयान दिया गया है कि उमाचन्द्र सह अभियुक्त बादशाह सिंह के साले हैं। उस उमाचन्द्र पर भी मेरा एक हरिजन उत्पीड़न का मुकदमा चल रहा है। उमाचन्द्र वाले मुकदमें में सह अभियुक्त लालजी के भाई दिलीप भी मुल्जिम हैं। वादिनी द्वारा अपने बयान में यह कहा गया है कि मुझे नहीं मालूम कि हरिजन उत्पीड़न कायम कराने के बाद कोई सरकारी अनुदान मिलता है। मैंने जो हरिजन उत्पीड़न के कई मुकदमें कायम करा रखे हैं उसका मुझे सरकारी अनुदान मिल चुका है। वादिनी के उपरोक्त बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि उसके द्वारा अभियुक्तगण एवं अन्य व्यक्तियों के ऊपर हरिजन उत्पीड़न से सम्बन्धित कई मुकदमें दायर किये गये हैं जिसे उसके द्वारा अपने बयानों में भी स्वीकार किया गया है तथा उसके द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि उन मुकदमों को दायर करने में मिलने वाला सरकारी अनुदान उसे प्राप्त हो चुका है जिससे अभियुक्तगण के इस कथन को बल मिल रहा है जिसमें उनके द्वारा यह कथन किया गया है कि वादिनी मुकदमा सरकारी अनुदान प्राप्त करने के लिए गांव के व्यक्तियों पर हरिजन उत्पीड़न के मुकदमें सरकारी अनुदान का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से दायर करती है। इसी प्रकार वादिनी द्वारा यह भी अपने बयान में स्वीकार किया गया है कि सह अभियुक्त श्यामू उसी सिद्धनाथ के चचेरे भाई हैं। इन्द्रपाल मेरा भाई है। इन्द्रपाल पर एक कत्ल का मुकदमा चला था। इस मुकदमें में बादशाह सिंह ने पैरवी की थी। वादिनी का यह बयान रंजिशन वादिनी द्वारा मुकदमा दायर किये जाने के तथ्य को बल प्रदान कर रहा है। अपने बयान में वादिनी द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि साधारण मारपीट का, हरिजन उत्पीड़न का मुकदमा लिखाने पर पहली किश्त 6200/-रु0 की अनुदान के रूप में मिलती है। अतिरिक्त अनुदान बाद में प्राप्त होता है। बलात्कार का मुकदमा लिखाने पर 60,000/-रु0 का अनुदान सरकार द्वारा दिया जाता है। यह अनुदान ब्लाक द्वारा मिलता है और उसका सरकारी चेक बनकर आता है। अतः वादिनी मुकदमा को इस सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी है कि अनुसूचित जाति/जनजाति वाले व्यक्ति द्वारा मुकदमा लिखाये जाने पर सरकारी अनुदान व सहायता प्राप्त होती है। बहुत सम्भव है कि वादिनी द्वारा यह मुकदमा भी सरकारी अनुदान को प्राप्त करने के उद्देश्य से दर्ज कराया हो। परन्तु वादिनी द्वारा पूर्व में अनुसूचित जाति व जनजाति अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमें दर्ज कराना यह साबित नहीं कर रहा है कि उसके साथ अभियुक्तगणों द्वारा लज्जा भंग करने का प्रयास न किया गया हो। इसके लिये वादिनी को सम्पूर्ण साक्ष्य व घटनाक्रम का सूक्ष्म विश्लेषण आवश्यक है।

घटना के सम्बन्ध में वादिनी द्वारा कथन किया गया है कि कोईया (कोटया) से हसनगंज चार कोस की दूरी पर है। घटना वाले दिन हसनगंज तहसील के लिये 6 बजे चली थी। मेरे गांव से हसनगंज पहुंचने में एक घण्टा लगता है। तहसील और ब्लाक दस बजे खुलता है। वादिनी द्वारा यह भी कहा गया है कि घटना के बाबत सी०ओ० साहब ने मेरा बयान लिया था। अगर सी०ओ० साहब के दिये बयानों में 10 बजे थाने जाने वाली बात लिखी है तो वह गलत है। अगर सी०ओ० के दिये गये बयानों में मैं किसी के साथ तहसील नहीं गयी थी। अगर बयानों में तहसील किसी के साथ जाने वाली बात लिखी है तो वह गलत है। अपने उपरोक्त साक्ष्य के विपरीत वादिनी द्वारा स्वयं अपने बयान में आगे यह कथन किया है कि सियाराम मेरे जीजा है। मैं घटना वाले दिन अपने जीजा को लेकर उनके काम से तहसील नहीं गयी थी। अगर मेरे बयानों में उनके साथ तहसील जाने वाली बात लिखी है तो मैं उसकी कोई वजह नहीं बता सकती। हसनगंज में बहुत सारे मेडिकल स्टोर हैं। हसनगंज से लखनऊ 12-13 कोस की दूरी पर है। मैं तहसील से दो बजे निकली थी। तब सियाराम साथ थे। हसनगंज से लखनऊ पहुंचने में एक घण्टे का समय लगता है। मैंने जब सियाराम का काम करा दिया था तब मेरे साथ लखनऊ गये थे। वादिनी अपने बयान में जहां एक तरफ तहसील किसी के साथ जाने वाली बात से इंकार कर रही है तथा यह कह रही है कि घटना वाले दिन अपने जीजा को लेकर उनके काम से तहसील नहीं गई थी वहीं उक्त बयान के विपरीत आगे स्वयं यह कथन कर रही है कि मैंने जब सियाराम का काम करा दिया था तब मेरे साथ लखनऊ गये थे। वादिनी द्वारा अपने बयान में यह भी कहा गया है कि लखनऊ मैं पांच बजे पहुंची थी। मैं लखनऊ मेडिकल स्टोर गयी थी। मेडिकल स्टोर का नाम नहीं मालूम। मेरे पेट में दर्द हो रहा था उसकी दवा लेने लखनऊ गयी थी। मैंने अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में मेरे पेट में दर्द हो रहा है, की बात लिखा दी थी। मैं मेडिकल स्टोर पर आधा घण्टा रुकी थी और वहां से चल दी थी। लखनऊ से मैं मोहान चौराहे आयी थी। वादिनी द्वारा अपने बयान में यह भी कहा गया है कि मैं जो दवा लेने लखनऊ गयी थी उसका कोई पर्चा सी०ओ० साहब को नहीं दिया था। मैंने कितने रुपये की दवा ली थी, उसका पर्चा नहीं बनवायी थी न ही उसका बाउचर या रसीद सी०ओ० साहब को दिया था। मैंने 550/-रु० की दवा ली थी। अपनी जिरह में वादिनी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि मैं हसनगंज के लिये घटना वाले दिन 9-10 बजे निकली थी। मोहान होते हुए ही हसनगंज की रास्ता है। हसनगंज से मोहान चार कोस है। हसनगंज से लखनऊ 10-12 कोस है। हसनगंज में मेडिकल स्टोर हैं और कई डाक्टर हैं। मोहान में 2-3 डाक्टर थे और एक मेडिकल स्टोर था। मैंने हसनगंज व मोहान में दवा इसलिये नहीं ली थी क्योंकि यहां दवा मिलती ही नहीं थी। यह बात मुझे पहले ही मालूम थी कि दवा यहाँ नहीं मिलती है। पर्चा खो गया है। अदालत में

आज तक न ही दरोगा जी को विवेचना के समय मैंने अपनी बीमारी का कोई पर्चा दिया हो। मेरा कोई एक्सरे वगैरह नहीं हुआ था न ही अल्ट्रासाउण्ड हुआ था। बीमारी बड़ी थी लेकिन दवा मेडिकल स्टोर से लाती थी। वादिनी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि घटना वाले दिन हसनगंज तहसील से वादिनी लखनऊ अपनी दवा लेने के लिये गयी थी। चूंकि वादिनी घटना की एक मात्र साक्षी है। ऐसी स्थिति में वह सभी तथ्य स्पष्ट होने आवश्यक है जिससे घटना के साबित होने में तारतम्यता बनी रहे। वादिनी का कथन है कि वादिनी पेट दर्द की दवा लेने लखनऊ गयी थी। वादिनी के पेट में क्या बीमारी थी, यह वादिनी द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। वादिनी कौन सी दवा लेने लखनऊ गयी थी एवं अन्य कोई विवरण वादिनी द्वारा अपनी साक्ष्य में नहीं दिया गया है। किस डाक्टर के मशविरे पर वादिनी दवा लेने लखनऊ गयी थी, यह भी वादिनी द्वारा पूछे जाने पर नहीं बताया गया है। वादिनी द्वारा दवाई का कोई पर्चा भी दाखिल नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि वादिनी को ऐसा कोई बीमारी थी जिसकी दवा सिर्फ लखनऊ में ही मिलती थी और उक्त दवाई को लेने हेतु हसनगंज व मोहान को छोड़कर 12-13 कोस दूर लखनऊ गयी थी। वादिनी द्वारा अपनी बीमारी एवं दवाईयों के सम्बन्ध में कोई ब्योरा साक्ष्य में नहीं दिया है, न ही पृच्छा किये जाने पर कोई सन्तोषजनक उत्तर दिया है, जो वादिनी के बयानों में संदिग्धता उत्पन्न कर रहा है कि आखिर किस कारण वादिनी मात्र एक दवाई को लेने के लिए घटना वाले दिन शाम को लखनऊ गई।

वादिनी द्वारा कथन किया गया है कि मैं तहसील से 2.00 बजे निकली थी। हसनगंज से लखनऊ पहुंचने में एक घण्टे का समय लगता है। लखनऊ में 5.00 बजे पहुंची थी। मेडिकल स्टोर पर आधा घण्टा रुकी थी और वहां से चल दी थी। वादिनी द्वारा घटना रात्रि 9.00 बजे की मोहान में कमालपुर के पास बड़ी नहर के पास की बताई गई है। स्वयं वादिनी के कथनानुसार हसनगंज से लखनऊ पहुंचने में एक घण्टे का समय लगता है तथा हसनगंज से मोहान की दूरी 4 कोस बताई गई है। हसनगंज से लखनऊ की दूरी 10-12 कोस बताई गई है। हसनगंज से लखनऊ जाने का समय एक घण्टा बताया गया है। वादिनी द्वारा यह कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि वह किसी साधन से अपने गांव जा रही थी या पैदल जा रही थी। बीच के समय का भी कोई स्पष्टीकरण वादिनी द्वारा अपनी साक्ष्य में नहीं दिया गया है कि शेष समय वादिनी किस स्थान पर थी व क्या कर रही थी जिससे घटना में संदिग्धता उत्पन्न हो रही है।

वादिनी द्वारा अपने बयान में जहां एक ओर यह कथन किया गया है कि घटना वाले दिन हसनगंज तहसील के लिए 6.00 बजे चली थी। मेरे गांव से हसनगंज पहुंचने में एक घण्टे का समय लगता है। वादिनी द्वारा आगे अपने बयान में पुनः यह कहा गया है कि हसनगंज के लिए घटना वाले दिन 9-10 बजे निकली थी। मोहान

होते हुए ही हसनगंज का रास्ता है। हसनगंज से मोहान 4 कोस दूर है। जहां एक ओर वादिनी से एक बार पृच्छा करने पर यह कथन कर रही है कि हसनगंज जाने के लिए सुबह अपने घर से 6 बजे निकली थी। वहीं पुनः पूछे जाने पर अपने पूर्व बयान के विपरीत कथन कर रही है कि वह हसनगंज जाने के लिए घर से 9-10 बजे निकली थी। वादिनी द्वारा अपनी जिरह में यह कथन किया गया है कि मेरे केवल चेहरे पर चोट थी। कमर, छाती व पीठ में किसी किश्म की कोई चोट नहीं थी। हांथ में चोट लगी थी। हांथ में चूड़ियाँ घुसने की चोट थी। मेरे हांथ में केवल दो जगह चोटें थी। मैंने सभी चोट डाक्टर को दिखायी थी। आगे वादिनी द्वारा अपने बयान में यह कथन किया गया है कि जब मेरे साथ मुल्जिमानों ने गलत कृत्य किया तो मेरे नीचे कोई कपड़ा नहीं डाला था। जमीन समतल नहीं थी घास फूस थी। मेरी पीठ कई जगह छिल गयी थी। डाक्टर को बताया था। उन्होंने लिखा नहीं था। वादिनी के उपरोक्त बयान आपस में विरोधाभासी हैं। जहां वादिनी द्वारा स्वयं एक ओर कथन किया गया है कि मेरे केवल चेहरे पर चोटें थी। कमर, छाती व पीठ पर किसी किश्म की चोट नहीं थी। वहीं विस्तृत रूप से प्रश्न किये जाने पर उसने यह कथन किया है कि मेरी पीठ कई जगह से छिल गई थी। डाक्टर को बताया था। चिकित्सीय परीक्षण का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि वादिनी के शरीर पर किसी प्रकार की चोट के निशान निरीक्षण में नहीं पाये गये। वादिनी के विरोधाभासी कथनों से वादिनी के बयान में पर्याप्त विसंगतियाँ स्पष्ट हो रही हैं। वादिनी द्वारा यह कहा गया है कि मैंने इस बारे में कई प्रार्थनापत्र दिये थे कि डाक्टर ने मेरा सही चिकित्सीय परीक्षण नहीं किया है। मैंने उन दरखास्तों की कोई नकल दाखिल नहीं किया है जिससे स्पष्ट है कि वादिनी ने डाक्टर द्वारा किये गये चिकित्सीय परीक्षण को किसी प्रकार से चुनौती नहीं दी गई एवं डाक्टर द्वारा वादिनी का सही चिकित्सीय परीक्षण किया गया जो वादिनी के साथ कथित घटना का समर्थन नहीं कर रही है। इसके अतिरिक्त सामान्यतः यह सम्भव प्रकट नहीं होता है कि किसी महिला के साथ चार व्यस्क आदमी गलत कार्य करें व आपराधिक बल का प्रयोग करें और उसके शरीर पर मात्र हांथ में खरोंच आये। कथित घटना की स्थिति में वादिनी के शरीर के अन्य हिस्सों पर जाहिरा चोटें आना अवश्य सम्भावी थी। वादिनी का चिकित्सीय परीक्षण दि0-28.04.03 को हुआ था जबकि घटना दि0-26.04.03 की बतायी गयी है परन्तु वादिनी के शरीर पर आन्तरिक व बाह्य किसी प्रकार की जाहिरा चोट का उल्लेख चिकित्सीय परीक्षण में नहीं है। चिकित्सीय परीक्षण में वादिनी को सम्भोग का आदि भी बताया गया है। इस प्रकार वादिनी के शरीर पर कोई जाहिरा चोट न पाया जाना व स्वयं पीड़िता द्वारा चोटों के सम्बन्ध में पूछे जाने पर अलग-अलग बयान दिया जाना साक्ष्य में महत्वपूर्ण विसंगति रखता है।

वादिनी द्वारा अपनी साक्ष्य में यह भी कथन किया गया है कि घटना वाले दिन

रात करीब 10.30 बजे पहुंची थी। सुबह 4.00 बजे सोकर उठी और घर से निकल ली। थाने सुबह 7-8 बजे पहुंच गई थी। थाना मेरे यहां से करीब 10-12 किलोमीटर दूर है। उठकर मैं सीधे थाने गये थी। थाने से मैं 3.00 बजे वापस आयी थी। आगे वादिनी द्वारा यह कथन किया गया है कि घटना वाले दिन जब मैं हसनगंज तहसील गई यह बात केवल मेरी माँ को मालूम थी। वादिनी की माँ भगवानदेई को साक्षी पी0डब्लू-2 के रूप में परीक्षित कराया गया है। जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में वादिनी के साथ कथित घटना के सम्बन्ध में दिये गये बयानों का समर्थन किया है। उक्त साक्षी ने अपने बयान में यह कथन किया है कि बसन्ती हमारे घर की पास ही अलग रहती है और यह अपनी दुकान रखे हैं। आज से सात साल कुछ दिन हो गये हैं। अपनी दवा लेने लखनऊ गयी थी। और रात में देर से करीब 9 बजे आई थी। यह रोते-रोते आई थी और हाथ की चूड़ियाँ टूट गई थी। हाथ में खरोच आ गई थी। कपड़े वगैरह फट गये थे। बसन्ती ने बताया कि अभियुक्तगण ने जबरदस्ती उसके साथ बुरा काम किया। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि घटना मैंने अपनी आंखों से नहीं देखी थी। बसन्ती के बताने से घटना बताती हूँ। घटना वाले दिन बसन्ती घर से दोपहर बीतने के बाद गई थी। जब यह घर से निकली थी तो सीधे लखनऊ दवा लेने गई थी। प्रतिपरीक्षा में बसन्ती की माँ भगवानदेई, बसन्ती के बयानों के विपरीत बयान दिया गया है। घर से निकलने के सम्बन्ध में स्वयं वादिनी बसन्ती द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में विरोधाभासी बयान दिया गया है जिसमें एक ओर वादिनी घटना वाले दिन हसनगंज तहसील जाने के लिये सुबह 6 बजे निकलने का कथन कर रही है वहीं दूसरी ओर तहसील जाने के लिए घर से 9-10 बजे निकलने का कथन कर रही हैं। वादिनी के उपरोक्त बयानों के विपरीत वादिनी की माता, बसन्ती के दोपहर के बीतने के बाद घर से निकलकर सीधे लखनऊ दवा लेने जाने का कथन कर रही है जो वादिनी के बयानों से पूर्णतः भिन्न है एवं वादिनी के बयानों का किसी प्रकार से समर्थन नहीं हो रहा है एवं इस साक्षी की विश्वसनीयता पर भी संदेह उत्पन्न कर रहा है। आगे भगवानदेई द्वारा अपने बयान में यह कथन किया गया है कि मैंने सी0ओ0 साहब को दिये गये बयानों में बसन्ती को घटना के बारे में मुझे सुबह बताने वाली बात बताई थी वह सही है। जब मेरी लड़की मेरे घर आई थी तब खून खच्चर थी। खून कपड़ों में लग गया था। खून वाले कपड़े सी0ओ0 साहब दरोगा जी को दिखाये गये थे। प्रस्तुत साक्षी एक ओर घटना की बात वादिनी द्वारा रात करीब 9.00 बजे बीतने की बात कह रही है। वहीं दूसरी ओर यह कथन भी सही कह रही है कि बसन्ती ने घटना के बारे में मुझे सुबह बताया था। वादिनी अपने साथ कथित घटना रात्रि 9.00 की होने की बता रही है तथा अपने घर रात करीब 10.30 बजे पहुंचने के सम्बन्ध में बयान दिया है जबकि वादिनी के कथनों के विपरीत वादिनी की माँ एक ओर रात 9.00 बजे वादिनी के घर पहुंचने एवं

कथित घटना के कारित होने के सम्बन्ध में वादिनी द्वारा बताये जाने का कथन कर रही है। वहीं दूसरी ओर इस तथ्य को स्वीकार कर रही है कि उसने इस सम्बन्ध में सी०ओ० साहब को सही बयान दिया था कि बसन्ती ने मुझे घटना के बारे में सुबह बताया था जिससे पुनः वादिनी की माँ के बयानों में विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। वादिनी की माँ यह भी कथन कर रही है कि वादिनी जब घर आयी थी तब उसके कपड़े फटे थे और उसके कपड़ों में खून लगा था परन्तु वादिनी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि वादिनी को किसी प्रकार की चोटें आई थी जिससे वादिनी के कपड़े फट गये थे और कपड़े खून से सन गये थे। इस प्रकार वादिनी एवं उसकी माँ के बयान कथित घटनाक्रम पर संदेह एवं विसंगति उत्पन्न कर रहा है।

साक्षी पी०डब्लू-३ अशोक उर्फ गुड्डू जो वादिनी का भाई है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में वादिनी के कथनों का समर्थन किया है परन्तु अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि मैं यह घटना सुनी सुनाई बता रहा हूँ। मैंने घटना अपनी आंखों से नहीं देखी है। वादिनी के कथनों के विपरीत साक्षी पी०डब्लू-३ ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि बसन्ती ने गांव में हरिजन एक्ट का कोई मुकदमा कायम नहीं कराया है। जबकि स्वयं वादिनी द्वारा यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि उसके द्वारा हरिजन एक्ट के कई मुकदमें गांव वालों पर संस्थित कर रखे हैं। इस साक्षी द्वारा मात्र अनुश्रवित साक्ष्य दिया गया है तथा ऐसा कोई कथन अपनी प्रतिपरीक्षा में नहीं किया गया है जिससे वादिनी के कथनों का किसी प्रकार से समर्थन उसके साक्ष्य द्वारा होता हो। वादिनी एवं उसकी माँ के बयानों में भी अनेक विसंगतियाँ हैं।

यहां यह उल्लेखनीय है कि वादिनी को घटनाक्रम अथवा वादिनी के साथ हुई कथित घटना को साबित करने हेतु वादिनी के जीजा सियाराम एक महत्वपूर्ण साक्षी हो सकते थे परन्तु वादिनी द्वारा सियाराम को साक्ष्य हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है। जबकि वादिनी का कथन है कि घटना वाले दिन वादिनी अपने जीजा सियाराम के साथ तहसील गई थी और तहसील का काम कराने के उपरान्त वादिनी सियाराम के साथ दवा लेने लखनऊ गई। वादिनी के कथनों से यह स्पष्ट है कि सियाराम ही वह अंतिम व्यक्ति था जो घटना के पूर्व तक वादिनी के साथ मौजूद था। यदि वादिनी सियाराम को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करती तो वादिनी के कथनों को बल मिल सकता था कि वह सियाराम के साथ लखनऊ दवा लेने गई थी एवं उसके साथ वापस आयी थी। परन्तु वादिनी द्वारा सियाराम को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादिनी सियाराम को अपना जीजा बता रही है जबकि वादिनी की माँ भगवानदेई द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि मैं नहीं जानती सियाराम कौन है। मेरी कोई लड़की सियाराम से नहीं ब्याही है। इस प्रकार वादिनी के बयान

का समर्थन उसकी माँ के दिये गये बयान से नहीं हो रहा है। इसके अतिरिक्त वादिनी की माँ व भाई द्वारा अपने साक्ष्य में वादिनी बसन्ती का चाल-चलन ठीक न होने व स्वतंत्र ख्यालात की महिला होने का कथन किया है जो पुनः वादिनी की विश्वसनीयता को भी प्रभावित करता है।

वादिनी की ओर से तर्क दिया गया है कि कथित घटना वादिनी के साथ बड़े बाबा के मंदिर घटी। जहां वादिनी अकेली थी। उसने अपने बयान में घटना की साबित किया है। माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मत दिया गया है कि एक ही साक्षी का साक्ष्य दोषसिद्ध करने हेतु पर्याप्त है। माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में अनेक विधि व्यवस्थायें दी गई हैं जिसमें मात्र एक साक्षी का बयान इस प्रकार के मामले में दोषसिद्ध हेतु पर्याप्त होता है जहां उक्त साक्षी का बयान संदेह से परे बिना किसी विसंगति के साबित होता हो परन्तु प्रस्तुत मामले में वादिनी मुकदमा के स्वयं के बयानों में अनेक विरोधाभास है एवं उसकी ओर से परीक्षित कराये गये साक्षियों के साक्ष्य में भी विरोधाभास है जो घटना को संदेह से परे साबित नहीं कर रही है। अतः घटना के सम्बन्ध में मात्र वादिनी का प्रत्यक्ष गवाही से घटना संदेह से परे साबित नहीं हो रही है। अतः वादिनी को इस सम्बन्ध में कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा कि वह घटना की एक मात्र साक्षी है।

इस प्रकार सम्पूर्ण विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि जहां एक ओर पीड़िता के साक्ष्य में महत्वपूर्ण तथ्यों के सम्बन्ध में अनेक विसंगतियाँ हैं⁵⁰ वादिनी की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षी द्वारा भी वादिनी के साक्ष्य के विपरीत विरोधाभासी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं एवं चिकित्सीय परीक्षण में भी वादिनी के विरुद्ध किसी प्रकार की घटना कारित होना साबित नहीं हो रहा है। अतः ऐसी स्थिति में वादिनी का साक्ष्य उसके साथ अभियुक्तगण बादशाह सिंह, पुष्पेन्द्र, श्यामू शुक्ला व लालजी द्वारा घटना वाले दिन उसकी लज्जा भंग करने का प्रयास किया गया एवं जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया गया, पूर्ण विश्वसनीय नहीं रह जाता है। वादिनी की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्षियों से उपरोक्त कथानक को साबित करने हेतु कोई समर्थनात्मक साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अभियुक्तगण की ओर से वादिनी मुकदमा द्वारा अभियुक्तगण एवं गांव के अन्य व्यक्तियों पर हरिजन एक्ट एवं अन्य मुकदमें दायर किये जाने के सम्बन्ध में दाखिल की गई है जिससे अभियुक्तगण के कथनों को पर्याप्त बल मिलता है कि वादिनी द्वारा लुनावी रंजिश एवं अन्य मुकदमों की रंजिश तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति को अन्तर्गत मुकदमें दाखिल करने पर सरकारी अनुदान प्राप्त करने के उद्देश्य से अभियुक्तगण पर मुकदमा लिखाया गया है। वादिनी के बयानों से अभियुक्तगण के साथ उसकी पूर्व रंजिश होना एवं उनपर व उनके परिवारीजनों पर मुकदमें दाखिल होने का तथ्य स्पष्ट

रूप से साबित हो रहा है। वादिनी द्वारा उक्त मुकदमें के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले सरकारी अनुदान के तथ्य को भी स्वीकार किया गया है।


अभियुक्तगण द्वारा वादिनी की लज्जा भंग करने के आशय से उसपर आपराधिक बल का प्रयोग करने एवं जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने का तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं हो रहा है। अतः संदेह का लाभ देते हुए अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाना उचित है।

आदेश

अभियुक्तगण बादशाह सिंह, पुष्पेन्द्र, श्यामू शुक्ला व लालजी को आरोप अन्तर्गत धारा-354 व 506 भा0दं0सं0 में संदेह का लाभ प्रदान करते हुए दोष मुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं। उनके बंधपत्र निरस्त तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्वों के भार से उन्मोचित किये जाते हैं।


अभियुक्तगण धारा-437ए दं0प्र0सं0 के अनुपालन में मु0-20,000/-रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समधन राशि का एक प्रतिभू प्रस्तुत करेंगे, जो कि अग्रिम छः माह की समयावधि तक प्रभावी रहेगा।

दिनांक-30.04.19


(मीनाक्षी सोनकर)
द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उन्नाव।

उपर्युक्त निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक-30.04.19


(मीनाक्षी सोनकर)
द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उन्नाव।

बादशाह सिंह
लालजी
पुष्पेन्द्र
श्यामू

